देश में खाद्यान्न का भंडार

2131. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खाद्यान्न का कुल कितना भंडार उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भंडार किसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न आपातस्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसके वितरण के अलावा उन अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये इस भंडार का इस्तेमाल किया जाता है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में केन्द्रीय पूल और राज्यों की एजेंसियों के पास 1-11-1993 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक निम्नानुसार था:

(लाख मीटरी टन में)

	अनन्तिम
चावल	80.71
गेहूं	132.14
मोटे अनाज	4.92
जोड़:	227.77

इसमें देश भर में किसानों/व्यापारियों द्वारा अपने पास रख लिया गया स्टाक शामिल नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय पूल से जवाहर रोजगार योजना और पोषाहार कार्यक्रमों के अधीन भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है । जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब सरकार इस स्टाक में से खाद्यान्नों की खुली बिक्री भी करती है ।

Theft in FCI Godowns

2132. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the number of theft cases reported from the godowns of the Food Corporation of India during 1993-94 upto 30th November, 1993 as compared to the corresponding period last year;

(b) the loss suffered by Food Corporation of India as a result thereof;

(c) the measures adopted by Government to check these thefts; and

(d) the action taken against the guilty officers so far if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) The cases of thefts as reported by various Regions of the Food Corporation of India are as under:

1993-94 upto 30-11-93)	1992-93 (upto 30-11-92)
81	16

(b) The loss as reported by various Regions of the Corporation are as under:

1993-94 (upto 30-11-93)	1992-93 (upto 30-11-92)
Rs. 12.60 lakhs	Rs. 3.85 lakhs

(c) Keeping in view the storage capacity and the prevailing local conditions, FCI Watch and Ward staff, State Armed Police and Central Industrial Security Force are deployed to guard the Corporation's godowns.

Regular checks on out-going and in-with gate passes. A procedure for locking coming vehicles are done totally stocks sealing and opening of the godowns has been laid down. Services of local law enforcing agencies are also being utilised as and when required. For vulnerable depots, police patrolling is arranged. Physical verification of stocks and surprise inspections of godowns are conducted on regular basis.

(d) The theft cases are referred to the Police authorities for investigation and prosecutions are launched whereever necessary. In addition to that, departmental action is also taken against the delinquent officials.

देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये जारी किये गये लाइसेंस

2133. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले एक वर्ष के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये स्वीकृत किये गये और जारी किये गये लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं जिन्हें नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु आवेदन किया है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे लाइसेंसों को जारी किये जाने के लिये कोई समिति गठित की गई है; यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ङ) लाइसेंस जारी करने के लिये क्या आधार है और अन्य क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं और क्या यह इस तरह के लाइसेंस जारी करते समय सभी शर्तों का अनुपालन किया गया था?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पिछले चीनी वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, 1993-94 के चालू चीनी मौसम के दौरान 9 आशय पत्र जारी किये गये हैं । इनका विस्तृत ब्यौरा विवरण-1 में है । **(नीचे देखिए)**

(ग) 31-8-1993 की स्थिति के अनुसार उन व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आवेदन किया है, अनुपत्र में दी गई **(देखि** परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 51.)

(घ) खाद्य मंत्रालय ने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये उद्यमियों से प्राप्त लंबित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा के लिये एक जांच समिति का गठन किया है । उक्त समिति की संरचना विवरण-2 में है । **(नीचे देखिए)** इसके बाद जांच समिति की सिफारिशों पर उद्योग मंत्रालय में इस उद्देश्य के लिये गठित लाइसेंस समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

(ङ) केन्द्र सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है । दिनांक 8-11-1991 के प्रेस नोट के तहत जारी किये गये इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति विवरण-3 में है ।